

## मध्यप्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2023

- क्र. एफ-1-0001-2022-Sec-1-उनसठ-(Ayu).- राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के प्रवेशानुमति प्राप्त प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी. योगा एवं नेचुरोपैथी) में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है:-
1. **शीर्षक**-ये नियम "मध्यप्रदेश एम.डी. (नेचुरोपैथी एवं योग) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2023" कहलायेंगे। ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
  - 2- **परिभाषाएं**- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
    - 2.1 म.प्र. एम.डी. नेचुरोपैथी/एम.डी. योग/एम.डी. एक्युपंचर एवं एनर्जी मेडिसिन प्रवेश मेरिट से अभिप्रेत है, संचालनालय, आयुष म.प्र. शासन, भोपाल द्वारा अधिसूचित एजेसी एम.पी. ऑनलाईन द्वारा पंजीयित अभ्यर्थियों से निर्मित एम.डी. नेचुरोपैथी/एम.डी. योग/एम.डी. एक्युपंचर एवं एनर्जी मेडिसिन प्रवेश मेरिट।
    - 2.2 "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, म.प्र. में संचालित प्रवेशानुमति प्राप्त निजी क्षेत्र के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय।
    - 2.3 "प्रवेश मेरिट" से अभिप्रेत है म.प्र. एम.डी. नेचुरोपैथी/एम.डी. योग/एम.डी. एक्युपंचर एवं एनर्जी मेडिसिन प्रवेश मेरिट।
    - 2.4 "सीट" से आशय है, महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत सीट।
    - 2.5 "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अन्य पिछड़े वर्ग।
    - 2.6 "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जातियां।
    - 2.7 "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जनजातियां।
    - 2.8 "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) तथा अनारक्षित श्रेणी।
    - 2.9 "संवर्ग" से अभिप्रेत है दिव्यांग (पी.डब्ल्यू.डी) जैसा कि एमसीआई/एनएमसी द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना अनुसार पात्र अभ्यर्थी एवं महिला(एफ)।
    - 2.10 "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनको सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है।
    - 2.11 "आयुष मंत्रालय, भारत सरकार" से अभिप्रेत है "भारत सरकार का आयुष मंत्रालय"
    - 2.12 "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;
    - 2.13 "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त/संचालक, संचालनालय आयुष म0प्र0;
    - 2.14 "प्रधानाचार्य" से अभिप्रेत है संबंधित महाविद्यालय/संस्थान का अकादमिक एवं प्रशासनिक प्रमुख;
    - 2.15 "काउंसिलिंग" से अभिप्रेत है म.प्र. एम.डी. नेचुरोपैथी/एम.डी. योग/एम.डी. एक्युपंचर एवं एनर्जी मेडिसिन प्रवेश मेरिट के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट एवं पात्रता के अनुसार संचालनालय आयुष म0प्र0 द्वारा आयोजित सीट आवंटन की प्रक्रिया।
    - 2.16 "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसा विश्वविद्यालय जिससे निजी क्षेत्र के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय विधिवत संबद्ध है।
    - 2.17 "अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति।
    - 2.18 "अध्येता" से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश उपरांत अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।
    - 2.19 "केन्द्रीय काउंसिलिंग" से अभिप्रेत है म. प्र. राज्य से अनुमति प्राप्त निजी क्षेत्र के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों की संचालनालय आयुष द्वारा आयोजित काउंसिलिंग।

### 3 सामान्य निर्देश-

- 3.1 स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम, यथास्थिति म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, म.प्र. शासन आयुष विभाग मंत्रालय, भारत सरकार आयुष मंत्रालय, महाविद्यालय यथास्थिति, प्रवेश, आवंटन तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गए संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होंगे।
- 3.2 प्रवेश की तारीख से उपाधि की दशा में तीन वर्ष की कालावधि के लिए स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होंगे। छात्र को संपूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रैक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- 3.3 अभ्यर्थी द्वारा जब भी अपेक्षित हो सही जानकारी दी जानी तथा प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रवेश काउंसिलिंग से संबंधित फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें तथा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को सीट आवंटन तथा प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 3.4 यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आयुष पोर्टल <https://ayush.mponline.gov.in> में आवेदन पत्र में प्रविष्टि के समय, अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय तथा प्रवेश के समय एवं अध्ययन के दौरान कोई तथ्य एवं जानकारी छुपाई है अथवा गलत जानकारी दी है, तो महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उसके अध्ययन के दौरान कभी भी उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।
- 3.5 यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया जाता है, तो वह प्रवेश का हकदार नहीं होगा अथवा अध्ययन के दौरान भी ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रधानाचार्य द्वारा किसी भी समय उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
- 3.6 अध्येताको दुराचरण, आपराधिक कृत्य में संलिप्तता, अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें प्रधानाचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है। अनधिकृत रूप से बिना पूर्व सूचना के निरंतर 30 दिन अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रधानाचार्य के द्वारा गुण दोष के आधार पर की जायेगी। इस अनुपस्थित अवधि का किसी भी प्रकार के मान्य अवकाश में समायोजन नहीं होगा। ऐसे प्रवेश के पश्चात् निष्कासित अभ्यर्थी, निष्कासन की तिथि से आगामी 03 वर्ष के लिये राज्य के निजी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय की पी.जी. सीटों पर प्रवेश के लिये अपात्र होगा।
- 3.7 म.प्र. शासन आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल से अनुमति प्राप्त पाठ्यक्रमों की सीट्स पर पाठ्यक्रमवार एवं महाविद्यालयवार प्रवेश दिया जावेगा। काउंसिलिंग के समय जिन संस्थाओं को म.प्र. शासन आयुष मंत्रालय तथा संबंधित विश्वविद्यालयकी प्रवेश अनुमति प्राप्त होगी उन सभी में प्रवेश की कार्यवाही संचालनालय आयुष म. प्र. स्तर से की जावेगी।
- 3.8 प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु एम.पी. ऑनलाइन की निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना होगा एवं उसे विहित की गई फीस जमा करनी होगी।

### 4 सीटों की उपलब्धता:-

निजी क्षेत्र के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों में प्रवेश हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रवर्ग एवं संवर्ग के म.प्र. के मूलनिवासी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रतिशत अनुसार आरक्षण लागू रहेगा। जिसकी जानकारी महाविद्यालयवार, विषयवार एवं श्रेणीवार म. प्र. राज्य में एम.डी. नेचुरोपैथी/एम.डी. योग/एम.डी. एक्युपंचर एवं एनर्जी मेडिसीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम काउंसिलिंग हेतु विभागीय वेबसाइट [www.ayush.mp.gov.in](http://www.ayush.mp.gov.in) व एम.पी. ऑनलाइन आयुष पोर्टल <https://ayush.mponline.gov.in> पर यथासमय प्रदर्शित की जावेगी। इन सीटों को मेरिट में पात्र घोषित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से भरा जायेगा। सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, जो यथा समय निर्धारित पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा। सीटों की आरक्षण तालिका काउंसिलिंग के समय आयुष पोर्टल <https://ayush.mponline.gov.in> पर उपलब्ध करायी जावेगी।

### 5 आरक्षण-

- 5.1 निजी क्षेत्र के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण म.प्र. शासन द्वारा तत्समय प्रचलित आरक्षण नियमों के अधीन निर्धारित प्रतिशत अनुसार रहेगा।
- (1) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में योग्यता (मेरिट) सह विकल्प के अनुसार 33 प्रतिशत होगा। यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हॉरिजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।
- (2) ऐसे अभ्यर्थी को जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा

वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है, आवेदन के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र में स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय महाविद्यालय में अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

- (3) दिव्यांग व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्ग के हैं, के लिए 06 प्रतिशत स्थान (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित हैं, **यह आरक्षण होरिजोन्टल एवं कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।** इसके साथ ही भारत के राजपत्र 27 दिसम्बर 2016 एवं म.प्र. के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के प्रारूप जो कि म.प्र.राजपत्र 28 नवम्बर 2017, प्रकाशित किये गये हैं। तदनुसार पाँच कटेगिरी की उक्त विकलांगतायें भारत के राजपत्रों में उल्लेखित विकलांगतायें एवं विकलांगता के प्रतिशत अनुसार दिव्यांग श्रेणी के लिये अभ्यर्थी मान्य होंगे यथा:-

- (क) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि  
(ख) बहरे और कम सुनने वाले  
(ग) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी,  
(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी,  
(ङ) खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों की बहुविकलांगता।

उक्त क से ङ, तक की विकलांगतायें निर्धारित प्रमाण पत्र एवं प्रतिशत अनुसार मान्य होंगी।

इन सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार को जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं एमसीआई/एनएमसी द्वारा जारी मापदण्ड अनुसार बैंच मार्क डिसेबिलिटी के लिये नामित नीट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर से जारी किया गया डिसेबिलिटी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। इस प्रकार दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- 5.2 यदि किसी दिव्यांग (पी.डब्ल्यू.डी) तथा महिला (एफ) संवर्ग के रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें उसी प्रवर्ग की ओपन संवर्ग में उपलब्ध करा दी जायेंगी। आरक्षित प्रवर्ग की ओपन संवर्ग में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्त सीटें अन्य प्रवर्गों से उपलब्ध कराते हुए भरी जायेंगी जैसा नियम 5.3 में है।

### 5.3 आरक्षित प्रवर्ग की सीट का परिवर्तन -

यदि आरक्षण के अनुसार च्वाइस फिलिंग करने वाले पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को **द्वितीय चरण एवं माँप अप चरण के आवंटन प्रक्रिया के दौरान** अन्य प्रवर्गों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी (कृपया नोट भी देखें)-

- (क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।  
(ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।  
(ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।  
(घ) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति ई.डब्ल्यू.एस. प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।  
(ङ) यदि उपरोक्त चारों आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।

**नोट** -यह व्यवस्था सम्बन्धित प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवारों की विकल्प चयन हेतु महाविद्यालयों के लिए च्वाइस लॉक (चयन) किए गये अभ्यर्थियों के समाप्त होने के बाद सीट परिवर्तन की सूचना जारी करने के उपरान्त अगले चरण की काउंसिलिंग में की जायेगी।

**6 प्रवेश हेतु पात्रता -**

- 6.1** न्यूनतम अर्हकारी पात्रता-म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर/प्रदेश के या प्रदेश के बाहर के अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थी यदि एम.पी.ऑनलाईन में पंजीयन कराते है तो उनकी मेरिट सूची एम.पी. ऑनलाईन व संचालनालय, आयुष म.प्र. भोपाल की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जावेगी। प्रावीण्यता सूची बी.एन. वाय.एस. उत्तीर्ण अभ्यर्थी के समस्त वर्षों के अंको के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।
- 6.2** निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।" परन्तु इन निजी महाविद्यालयों में आरक्षित संवर्ग की सीट्स निर्धारित प्रतिशत अनुसार मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रहेंगी।
- 6.3** बी.एन.वाय.एस. उत्तीर्ण अभ्यर्थी के समस्त वर्षों के अंको के योग के आधार पर तैयार की गई प्रावीण्यता सूची में यदि किन्हीं अभ्यर्थियों के समान अंक होते है तो आयु में जो वरिष्ठ होगा उस अभ्यर्थी को प्रावीण्य सूची/प्रवेश आवंटन में वरीयता दी जायेगी।
- 6.4** सभी पी.जी. प्रवेशित छात्रों को मध्यप्रदेश राज्य में पी.जी. पाठ्यक्रम करने के लिए मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल से पंजीकृत होना चाहिये।
- 6.5** पी.जी. सीट आवंटन होने के पश्चात् आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के भीतर म.प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा संबंधित फीस जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.6** पात्र अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त संस्थाओं से काउंसिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अनिवार्य इंटरनशिप पूर्ण कर ली हो अथवा अभ्यर्थियों के इन्टरनशिप पूर्णता की तिथि के सम्बन्ध में म.प्र. शासन, आयुष विभाग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले आदेश/निर्देश प्रभावशील होंगे।
- 6.7** अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय स्वयं उपस्थित रहकर सभी आवश्यक निम्न मूल दस्तावेज प्रोफार्मा-1 सहित प्रस्तुत करना होगा :-
- 1 10 वीं/12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची
  - 2 बी.एन.वाय.एस. परीक्षा के समस्त प्रॉफ की अंकसूची।
  - 3 अनिवार्य इंटरनशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (Compulsory Internship Completion Certificate) अथवा निर्धारित तिथि तक पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र।
  - 4 अभ्यर्थी का वैद्य पहचान पत्र।
  - 5 मध्य प्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अथवा स्वः घोषित स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
  - 6 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्थाई जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  - 7 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी/नॉन क्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 का तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अथवा स्वःघोषित आय प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 नवम्बर 2017 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के संबन्ध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के लिए निर्धारित मापदण्डानुसार निर्धारित की जावेगी।
  - 8 दिव्यांग संवर्ग हेतु निर्धारित प्रमाण पत्र।
  - 9 चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाणपत्र।
  - 10 अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी.।
  - 11 चरित्र प्रमाणपत्र।

**7 प्रावीण्य सूची -**

- 7.1** प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों की सीट्स पर प्रवेश हेतु संयुक्त प्रावीण्य सूची एम. पी. ऑनलाईन द्वारा प्रवेश हेतु बी.एन.वाय.एस. की मेरिट के आधार पर तैयार की जावेगी। ऐसी संयुक्त प्रावीण्य सूची इन नियमों एवं आरक्षण प्रावधान के आधार पर एम0पी0 ऑनलाईन तैयार करेगा। आरक्षित वर्ग की सीटों पर केवल प्रदेश के स्थानीय निवासी ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे तथा अनारक्षित प्रवर्ग की सीटों पर प्रदेश के स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जायेगी।
- 7.2** उपरोक्तानुसार बी.एन.वाय.एस. की पंजीकृत अभ्यर्थियों से तैयार एवं जारी की गयीमेरिट सूची अनुसार तथा म.प्र. शासन आयुष विभाग के निर्देशों के क्रम में सीट्स पर आवंटन प्रक्रिया एम. पी. ऑनलाईन द्वारा संपन्न कराई जावेगी।

- 8 **रजिस्ट्रेशन:-**  
आयुष संचालनालय द्वारा काउंसिलिंग की निर्धारित समय सारणी एवं विस्तृत कार्यक्रम जारी कर संचालनालय आयुष, म.प्र. की वेबसाइट [www.mp.ayush.gov.in](http://www.mp.ayush.gov.in) तथा <https://ayush.mponline.gov.in> पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। आवेदक को रजिस्ट्रेशन हेतु <https://ayush.mponline.gov.in> पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रूपये 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) देय होगा। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात् प्रत्येक आवेदक को रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं एक अस्थाई गुप्त पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा, जिसे आवेदक को च्याइस फिलिंग के समय बदलना अनिवार्य होगा।
- नोट:- अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु पंजीयन का अवसर सभी चरणों में प्रदान किया जावेगा। पंजीयन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन/दावा मान्य नहीं होगा।
- 9 **अभिलेख सत्यापन :-**  
अभ्यर्थी को प्रवेश के पूर्व समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी किसी भी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय में अपने समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन करा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तत्समय एमपी ऑनलाइन के पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।
- 10 **काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन -**
- 10.1 योग्य अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन का आधार म.प्र. शासन आयुष विभाग द्वारा अधिकृत एजेंसी एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से बी.एन.वाय.एस. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा पंजीयन कराये जाने के पश्चात् जारी मेरिट सूची में प्राप्त रैंकिंग होगी। आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी। ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे। विभागीय वेबसाइट [www.ayush.mponline.gov.in](http://www.ayush.mponline.gov.in) पर महाविद्यालयों की सूची एवं एम.डी. नेचुरोपैथी/एम.डी. योग/एम.डी. एक्युपंचर एवं एनर्जी मेडिसीन पाठ्यक्रम की विषयवार सीटों की आरक्षण तालिका काउंसिलिंग के पूर्व जारी की जावेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
- 10.2 सभी अंकसूचियों, प्रमाणपत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी तथा माता-पिता का नाम एक समान लिखा होना चाहिये। यदि किसी भी दस्तावेज में कहीं कोई अंतर हो तो ऑनलाइन काउंसिलिंग के पूर्व उसे दुरुस्त करालें अन्यथा प्रवेश निरस्त होने पर इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित रूप से अपना वही फोटोग्राफ प्रवेश हेतु महाविद्यालय में प्रस्तुत करेगा, जो कि एम.पी.ऑनलाइन में पंजीयन के समय प्रस्तुत किया गया है।
- 11- **संस्था का चयन-**  
आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों/संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प <https://ayush.mponline.gov.in> पोर्टल पर जाकर करना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क 50/- रूपये (पचास रूपये मात्र) देय होगा। इस राशि की रसीद दी जावेगी, जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी।
- 12 **अलाटमेंट लेटर-**
- 12.1 आवेदक आवंटन की निर्धारित तिथि पर <https://ayush.mponline.gov.in> पोर्टल पर जाकर एम.डी. नेचुरोपैथी/एम.डी. योग/एम.डी. एक्युपंचर एवं एनर्जी मेडिसीन हेतु पंजीयन नम्बर, जन्म तिथि एवं च्याइस फिलिंग के समय परिवर्तित किया गया पासवर्ड दर्ज कर काउंसिलिंग अलाटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है। सीटों का आवंटन मेरिट क्रम अनुसार किया जावेगा।
- 12.2 इन नियमों के अंतर्गत काउंसिलिंग एवं आवंटन काउंसिलिंग समिति की देख-रेख में होगा।
- 12.3 एम पी ऑनलाइन प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग के पश्चात् प्रवर्गवार एवं संवर्गवार ओपनिंग क्लोजिंग की सूची अल्फाबेटिकल क्रम में महाविद्यालयवार जारी करेगी।
- 13 **रिपोर्टिंग -**  
अभ्यर्थी को महाविद्यालय का आवंटन होने के बाद सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा तथा अभिलेखों के सत्यापन पश्चात् समस्त अभिलेख सही पाये जाने पर अपना पंजीयन नम्बर एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा।
- 14 **प्रवेश -**
- 14.1 अभ्यर्थी काउंसिलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात्, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा। प्रवेश के समय निर्धारित प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा

- करना होगा।
- 14.2 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे। यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाया जाए तो उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी।
- 14.3 यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने हेतु संसूचित दिनांक तक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होता है अथवा प्रवेश लेकर सीट छोड़ देता है तो आवंटित/प्रवेशित सीट पर उसका दावा स्वतः समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन/प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा।
- 14.4 अभ्यर्थी को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उसका प्रवेश तभी मान्य होगा जब वह चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होगा। इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन/पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र लागू रहेगा।
- 14.5 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि काउंसिलिंग से संबंधित समस्त जानकारी हेतु वेबसाइट [www.ayush.mp.gov.in](http://www.ayush.mp.gov.in) एवं [www.ayush.mponline.gov.in](http://www.ayush.mponline.gov.in) का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।
- 15 फीस संरचना –**  
निजी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस देय होगी।  
फीस संरचना से सहमति की स्थिति में ही आनलाईन काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को च्वाइस फिलिंग करना चाहिये। प्रवेश काउंसिलिंग पश्चात सीट आवंटित होने पर यह माना जावेगा कि उपरोक्त संबंधित महाविद्यालय की फीस संरचना से अभ्यर्थी सहमत है। अध्येता के प्रवेश उपरान्त इस संबंध में कोई मांग/संशोधन मान्य नहीं होगा।
- 16 काउंसिलिंग एवं चरण –**  
योग्य अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी। ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत जानकारी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर पृथक से जारी की जावेगी।
- 16.1 प्रथम चरण की काउंसिलिंग–**
1. प्रथम चरण की काउंसिलिंग में सभी पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी पात्र होंगे।
  2. प्रथम चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।
  3. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया जावेगा।
  4. आवंटन परिणाम के पश्चात अभ्यर्थियों के पास दो विकल्प होंगे, जिसमें या तो वह आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर सकते हैं या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (Opt for Upgradation) विकल्प दे सकते हैं।
  5. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवंटन पत्र में Satisfied ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति व सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा।
  6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन के पश्चात कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा Satisfied विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे।
- 16.2 द्वितीय चरण की काउंसिलिंग–**
1. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा पूर्व चरण में सीट आवंटित होने के पश्चात् उनके द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया है अथवा Satisfied विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है अथवा जिन्होंने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है एवं नवीन अभ्यर्थी पात्र होंगे।
  2. जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है, उन्हें नवीन च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उस अभ्यर्थी की आवंटित सीट उस चरण में अन्य को आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी, परन्तु ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

3. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया जावेगा।
  4. आवंटन परिणाम के पश्चात अभ्यर्थी के पास दो विकल्प होंगे, जिसमें से वह या तो सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (Opt for Upgradation) विकल्प दे सकते हैं।
  5. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवंटनपत्र में Satisfied ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति, सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क सहित जाना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे।
  6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन आदेश परिणाम के पश्चात प्रदाय विकल्प में से कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा सन्तुष्ट (Satisfied) विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी। ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरण की काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे।
  7. द्वितीय चरण में सीटों के परिवर्तन में, नियम 5.2 व 5.3 के प्रावधान लागू होंगे।
- 16.3 तृतीय चरण की काउंसिलिंग—**
1. प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेशित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष सभी रजिस्टर्ड अभ्यर्थी तृतीय चरण हेतु पात्र होंगे। सभी पात्र तथा तृतीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प देने वाले समस्त अभ्यर्थियों को नवीन च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।
  2. निर्धारित समय सारणी अनुसार तृतीय चरण का आवंटन किया जावेगा।
  3. तृतीय चरण में सीट आवंटित अभ्यर्थी अपने आवंटित महाविद्यालय में सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ प्रवेश हेतु आवंटन आदेश परिणाम की प्रति, प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा।
  4. तृतीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी। आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन व परिवर्तन नियम 5.2 व 5.3 के तहत किया जायेगा।
- 16.4 स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड (अंतिम चरण)—**
1. तृतीय चरण की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहने की स्थिति में निर्धारित समय सारणी अनुसार स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड संपादित किया जावेगा।
  2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण में पंजीकृत अभ्यर्थी के अतिरिक्त नवीन अभ्यर्थी को भी पंजीयन की सुविधा प्रदान कर स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड संपादित किया जावेगा। प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण के प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी पंजीकृत अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु पात्र होंगे।
  3. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में महाविद्यालय की रिक्त सीटों एवं पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट सूची जारी (विज्ञापित) की जायेगी।
  4. उपरोक्त मैरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर मैरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा।
  5. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश तत्समय जारी किये जायेंगे।
- 17 फीस वापसी—**
- काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों द्वारा काउंसिलिंग के तृतीय चरण तक महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन सीट छोड़ने/प्रवेश निरस्त करने पर, ऐसे छात्रों द्वारा जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत राशि काटकर (अधिकतम दस हजार रुपये) शेष राशि लौटायी जावेगी। तृतीय चरण के पश्चात् प्रवेश निरस्त करने पर केवल कौशन मनी वापसी योग्य होगी।
- 18 प्रवेशित छात्र निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे —**
- (क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी),
  - (ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश,
  - (ग) प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान महिला अध्येताओं को 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। प्रेग्नेन्सी से संबंधित चिकित्सा प्रमाणपत्र, प्रसूति अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। अवकाश पर जाने हेतु आवेदन संबंधित शैक्षणिक विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रधानाचार्य कार्यालय को देना होगा। तथापि विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु प्रायोगिक/क्लीनिकल/सैद्धांतिक कक्षाओं में विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम वांछित

उपस्थिति को अनिवार्यता रहेगी तथा उपस्थिति पूर्ण न होने पर आगामी 06 माह के लिये पाठ्यक्रम की अवधि में वृद्धि होगी।

- (घ) प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश/बीमारी का प्रमाण पत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। यह अवकाश प्रतिवर्ष लिया जा सकेगा तथापि इसे किसी भी परिस्थिति में अन्य अवकाश के साथ संचय नहीं किया जा सकता।

**19 प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम :-**

1	प्रथम चरण काउंसिलिंग की तिथि	06/10/2023 से 19/10/2023
2	द्वितीय चरण काउंसिलिंग	28/10/2023 से 09/11/2023
3	तृतीय चरण काउंसिलिंग	17/11/2023 से 30/11/2023
4	स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड	07/12/2023 से 16/12/2023
5	प्रवेश की अंतिम तिथि	16/12/2023 सायं 05 बजे।
6	सत्रारंभ तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी।

**टिप्पणी :-**

आयुष संचालनालय द्वारा नियम 19में दर्शाये अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम एवं निर्धारित समय सारणी जारी कर आयुष, संचालनालय आयुष की वेबसाइट [www.mp.ayush.gov.in](http://www.mp.ayush.gov.in) तथा <https://ayush.mponline.gov.in> पोर्टल पर विज्ञापित किया जायेगा। यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे विज्ञापित कर सूचित किया जावेगा।

- 20 प्रदेश के निजी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में म.प्र. शासन द्वारा यदि कोई सीट वृद्धि की अनुमति अथवा किसी नवीन महाविद्यालय को मान्यता/प्रवेश अनुमति काउंसिलिंग के पूर्व अथवा काउंसिलिंग के मध्य प्राप्त होती है तो संबंधित महाविद्यालय को काउंसिलिंग चरण के च्वाइस फिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व दिनांक तक ही उस चरण की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा। यदि च्वाइस फिलिंग प्रारंभ होने की दिनांक को अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में महाविद्यालय को संभावित आगामी चरण में सम्मिलित किया जा सकेगा।
- 21 महाविद्यालयों द्वारा राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। साथ ही यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ है अथवा काउंसिलिंग प्रक्रिया से हटकर संस्था स्तर पर हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थी को उक्त पाठ्यक्रम से निकाल दिया जायेगा एवं/अथवा यदि उसे कोई भी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो यथास्थिति म.प्र. शासन आयुष मंत्रालय/आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी।
- 22 राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के अंतिम चरण के उपरांत रिक्त रह गयी सीट पर महाविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में सीधे प्रवेश नहीं दिये जावेगे। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर जाकर किसी छात्र को सीधे प्रवेश देना प्रमाणित पाया जाता है तो संबंधित संस्था को महाविद्यालय संचालन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लिया जायेगा एवं संबंधित महाविद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 23 उक्त नियमों के अंतर्गत होने वाले प्रवेश आयुष विभाग म.प्र. शासन के उस प्रवेश दिनांक को प्रभावशील आदेशों/निर्देशों/नियमों के अधीन रहेंगे। पूर्व चरणों की काउंसिलिंग के आधार पर हुए प्रवेश उपरांत यदि संबंधित आदेश/नियम/निर्देश में कोई परिवर्तन होते हैं तब वह आगामी चरणों की काउंसिलिंग पर ही लागू होंगे।
- 24 प्राकृतिक चिकित्सा एवंयोग महाविद्यालयों हेतु एम.डी. नेचुरोपैथी/एम.डी. योग/एम.डी. एक्युपंचर एवं एनर्जी मेडिसीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी इन नियमों के आधार पर प्रवेशित हुए अभ्यर्थी आयुष विभाग के अन्य पाठ्यक्रमों यथा एम.डी./एम.एस. आयुर्वेद/एम.डी. होम्योपैथी के अभ्यर्थियों से समानता का अधिकार प्राप्त करने हेतु दावा नहीं करेंगे एवं न ही इसके अधिकारी होंगे।



## 25 सक्षम प्राधिकारी:-

किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश एवं प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु आयुक्त आयुष सक्षम प्राधिकारी होंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

## 26 नियमों में संशोधन का अधिकार:-

प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों में बदलाव का अधिकार राज्य शासन का होगा। इन नियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के संबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार मिश्र, उपसचिव.

## प्रारूप - 1

प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रवेश के समय, अभिलेखों के सत्यापन कौंसलिंग, आवंटन संबंधी प्रपत्र  
(सम्मीदवार द्वारा भरा जावे)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश एम.डी. नेचुरोपैथी/एम.डी. योग/एम.डी. एक्युपंचर एवं एनर्जी मेडिसीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियमभलीभांति पढ़कर समझ लिये हैं। तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन कौंसलिंग/महाविद्यालय में प्रवेश हेतु भाग ले रहा/रही हूँ।

महाविद्यालय में प्रवेश/कौंसलिंग में भाग लेने के लिए आज दिनांक ..... को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है अथवा असत्य है अथवा अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे कौंसलिंग/प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए-

- एम.डी. नेचुरोपैथी/एम.डी. योग/एम.डी. एक्युपंचर एवं एनर्जी मेडिसीन का एम.पी. ऑनलाईन द्वारा प्रदत्त पंजीयन नं. ....
- मैरिट प्रतीक्षा सूची क्रमांक .....
- पूरा नाम .....
- माता/पिता/अभिभावक का पूरा नाम : .....
- पता : .....
- टेली./ मो. नं. ....
1. प्रवर्ग(अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) : .....
2. संवर्ग (दिव्यांग/महिला/ओपन) : .....
3. मूल प्रमाणपत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके सामने सही (  ) का चिन्ह लगायें।

- प्रवेश परीक्षा की मूल अंकसूची।
  - स्नातक परीक्षा की मूल अंकसूची। (समस्त)
  - इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र
  - रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
  - आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाणपत्र।
- | Book No.             | Disp. No.            | Date                 | Place                | Issuing Authority    |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
- जन्मतिथिसंबंधी कक्षा 10वीं की अंकसूची। DD MM YYYY
  - चरित्र प्रमाणपत्र।
  - मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र।
- | No.                  | Dt. of issue         | Place                | Issuing Authority    |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
- आत्म सत्यापन अध्ययनरत रहने का टा.सा.
  - वर्तमान आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में। ( )
  - संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण पत्र, सूची सहित। (यदि लागू हो तो)

पूरा नाम  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक

**सत्यापन (सूक्ष्म जाँच समिति द्वारा भरा जावे)**

मेरे द्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों (1-11) की जांच की गई। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के 01 सेट रिकार्ड हेतु जमा करा लिये गये हैं। प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों को ऊपर उल्लेखित किया गया है।

**सदस्य अभिलेख सत्यापन समिति**

(नाम पदनाम हस्ताक्षर, दिनांक)

परीक्षणोपरांत उम्मीदवार काँउंसिलिंग/प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र है अथवा निम्न प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा अन्य कारणों ..... से काँउंसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं हैं ।

**अध्यक्ष, अभिलेख सत्यापन समिति**  
(हस्ताक्षर, दिनांक नाम एवं पदनाम.)

**प्रारूप-1-अ**

**शपथ पत्र**

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री.....उम्र.....निवासी.....  
..... आज दिनांक.....को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने द्वारा आनलाईन काउंसिलिंग/प्रवेश प्रक्रिया में लिये गये निर्णय से मैं बचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।  
आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूँगा/करूँगी।

**1. गवाह के हस्ताक्षर**

दिनांक.....

नाम.....

पूरा पता.....

**2. गवाह के हस्ताक्षर**

दिनांक.....

नाम.....

पूरा पता.....

**अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

दिनांक.....

नाम.....

पूरा पता.....

टेलिफोन./मोबाईल नं.....